

कार्यालय जिला न्यायाधीश, वाराणसी।

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पूर्व सूचना के अधीन, विभिन्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत जिला न्यायालयों में उपलब्ध रिक्तियों के प्रति सेवानिवृत्त जिला न्यायालय कर्मियों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन किये जाने हेतु नवीन परिपत्र संख्या-14/Admin. 'D' Section Dated: 15.10.2022 निर्गत किया गया है।

उक्त परिपत्र के अनुक्रम में जिला न्यायालय, वाराणसी में वर्तमान में लिपिक संवर्ग (समूह 'ग'), आशुलिपिक संवर्ग (समूह 'ग') तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग (समूह 'घ') के रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन हेतु, सेवानिवृत्त जिला न्यायालय कर्मियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं, जिनका विवरण तथा शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् है :-

पुनर्नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का विवरण :-

क्रम सं०	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ सहायक (समूह 'ग')	72
2.	आशुलिपिक ग्रेड-III (समूह 'ग')	7
3.	दफ्तरी/बंडल लिफ्टर	9
4.	आदेशिका वाहक (समूह 'घ')	8
5.	अर्दली/चपरासी/कार्यालय चपरासी (समूह 'घ')	12

शर्तें एवं प्रतिबन्ध :-

- 1- विज्ञापित पदों की संख्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रचलित भर्ती प्रक्रिया एवं जिला स्तर पर प्रचलित पदोन्नति प्रक्रिया के अधीन घट या बढ़ सकती है।
- 2- पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मियों की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये।
- 3- यह पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष के लिये अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिये की जाएगी।
- 4- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्नियुक्त कर्मियों को परिलब्धियों के रूप में, अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जाएगी। अतएव आवेदक सेवानिवृत्त कर्मियों अपने आवेदन-पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार-पत्र/पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
- 5- यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मियों के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र-पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जाएगी।
- 6- इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवानिवृत्त कर्मियों अपने आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेंगे।
- 7- चयनित कर्मचारीगण की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो संतोषजनक सेवा न पाये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- 8- उक्त समस्त पदों की पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 9- इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवानिवृत्त कर्मियों अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक **31.10.2026 के सांयकाल 04.00** बजे तक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, वाराणसी को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- 10- इस पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी/जिला न्यायाधीश, वाराणसी का होगा।

इस विज्ञप्ति सूचनार्थ क्रमशः (1) जिला न्यायालय, वाराणसी एवं (2) ग्राम न्यायालय पिण्डरा, वाराणसी के सूचना-पट्ट तथा जनपद न्यायालय, वाराणसी तथा माननीय उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाय। साथ ही साथ जिला सूचना अधिकारी, वाराणसी को यथासम्भव सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रति प्रेषित की जाय।

दिनांक 01.10.2026

नियुक्ति प्राधिकारी/जिला न्यायाधीश

आवेदित पद का नाम:.....

1. आवेदक का नाम:.....
2. पिता/पति का नाम:.....
3. जन्म तिथि:..... (आयु 65 वर्ष से कम हो)
4. लिंग:..... (पुरुष/महिला)
5. अन्तिम धारित पद एवं वेतनमान:.....
6. वर्तमान पता:.....

फोटो

.....जनपद:.....

स्थायी पता:.....

.....जनपद:.....

शैक्षणिक योग्यता:.....

7. श्रेणी:.....

(सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक)

8. मोबाइल नं०:.....

9. विभाग का नाम जहाँ से सेवानिवृत्त हुए:.....

10. सेवानिवृत्ति का दिनांक:.....

(पेंशन प्राधिकार-पत्र/पी.पी.ओ. की
स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)

11. फिटनेस प्रमाण-पत्र:.....

12. पहचान पत्र:.....

(आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि)

घोषणा-पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त आवेदित पद पर पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। उपरोक्त अंकित तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। इसका कोई अंश असत्य नहीं है, यदि कोई अंश असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा उसका पूर्ण दायित्व मेरा होगा और इस सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध की गई कोई कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।

दिनांक:

स्थान:

(आवेदक के हस्ताक्षर)